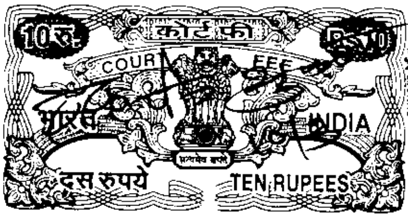

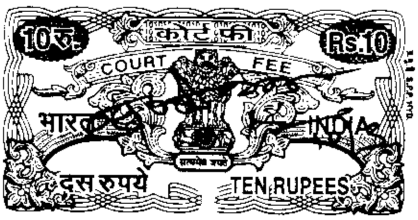

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014/विविध – 844-PBR/14

मे. प्रीसट्रेस्ड कंक्रीट इंडस्ट्रीज, ग्वालियर द्वारा पार्टनर नरेश अग्रवाल आत्मज रामेश्वर दयाल अग्रवाल निवासी 11, मुरार एन्क्लेव, गोला का मंदिर, ग्वालियर, म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
   कलेक्टर ऑफ स्टाम्प (जिला पंजीयक)
   जिला–ग्वालियर
   न्यू कलेक्ट्रेट भवन, ग्वालियर, म.प्र.

2. उपपंजीयक; ग्वालियर
   (कार्यालय नजरबाग मार्केट के पीछे) जीवाजी चॉक, बाड़ा लश्कर, ग्वालियर

——— अनावेदक

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 8 एवं धारा 32 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

--

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 844-पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-6-2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29-5-2012 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 8 एवं 32 सहपठित भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 56 (1) के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-2012 का पालन कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 8 एवं 32 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन कराये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है और न ही अधिनियम की धारा 56 (1) में इस प्रकार का कोई प्रावधान है, बल्कि धारा 56 में निगरानी संबंधी प्रावधान है । अतः यह आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	